


बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

संख्या:-V/उ0-1-10/2017.....1712...../श्री सुमन कुमार सिंह, निरीक्षक उत्पाद, शेखपुरा को दिनांक-22.11.2017 से दिनांक-18.03.2018 तक कुल 117 (एक सौ सतरह) दिनों के उपभोगित अवकाश को, बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 (क) के तहत, उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।


22/11/17
(अभय राज)


सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- V/उ0-1-10/2017 - 1712

पटना, दिनांक:- 22.05.18

प्रतिलिपि:- 1. कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अधीक्षक उत्पाद, शेखपुरा/श्री सुमन कुमार सिंह, निरीक्षक उत्पाद, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22/5/18

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।